।। कार्यालय पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर।।

प्रैस–नोट

दिनांकः– 10.09.2018

महिला ए0पी0पी0 की कथित हत्या के मामले का खुलासा

टैम्पो के एक्सल में चुन्नी फंसजाने के कारण गला घुटने से हुई थी मृत्यु

1. **थाना अटलबंदः–** थानाधिकारी अटलबंद श्री कमलेश मीणा उ0नि0 ने बताया कि दिनांक 08.09.2018 को श्री राजेंद्रकुमार पुत्र छोटेलाल जाति जाटव निवासी मोहन कॉलोनी थाना सदर धौलपुर ने एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि प्रार्थी की साली सुश्री बबीता पिप्पल सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर भरतपुर में तैनात थी जिनकी ड्यूटी एसीजेएम व एमजेएम न्यायालय वैर में थी। वह अपना राज कार्य समाप्त कर वैर से दिनांक 07.09.2018 को सांय करीब 5:00 बजे दो दिन का राजकीय अवकाश होने के कारण अपने मुख्यालय भरतपुर आ रही थी। हीरादास बस स्टैंड से अपने घर आने के लिए टेंपो में बैठी जिसमें और भी सवारियां बैठी हुई थी। शाम लगभग 6:20 पर बबीता का फोन मेरे फोन पर आया और मेरी उससे बातें हुई थी। प्रार्थी को पुलिस की सूचना मिलने पर प्रार्थी आर0बी0एम0 अस्पताल भरतपुर आया तो उसने देखा कि बबीता मृत अवस्था में थी और गले पर चोट के निशान थे तथा हाथ में पहनी हुई डायमंड की अंगूठी व गले में सोने की जंजीर नहीं मिली और उसकी सफेद चुन्नी भी नहीं मिली। प्रार्थी को आशंका है कि किन्हीं लोगों ने उसकी हत्या कर दी है। इस संबंध में थाने पर मु0नं0 262/18 धारा 302, 394, 34 आईपीसी में कायम कर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। प्रकरण संवेदनशीलता को देखेते हुए पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर के निर्देशानुसार व अति0 पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) भरतपुर व वृत्ताधिकारी वृत शहर भरतपुर के सुपरवीजन में अनुसंधान प्रारम्भ कर मृतिका बबीता पिप्पल के साथ टैम्पू में बैठी सवारियां मदन चैरी पुत्र रामलाल चैरी जाति जाट उम्र 36 साल निवासी रतनपुरा थाना पदमपुर जिला गंगानगर व उनकी 10 वर्षीय बेटी गार्गी तथा श्रीमति रेखा तौमर पत्नि बच्चूसिंह तौमर निवासी गुलालकुण्ड थाना मथुरागेट एवं टैम्पू चालक संजय शर्मा निवासी सुभाषनगर थाना कोतवाली भरतपुर से गहनता से पूछताछ की गई तथा अभय कामाण्ड सेन्टर भरतपुर के सीसीटीवी फुटेज देखे गये व टैम्पू का बारीकी से निरीक्षण

किया गया तो निरीक्षण के दौरान मृतिका बबीता पिप्पल की चुन्नी टैम्पू के एक्शल में लिपटी हुई मिली जिस पर एफएसएल टीम को मौके पर ही बुलाकर साक्ष्य संकलित किये गये। अनुशंधान व समस्त साक्ष्यों से अभियोजन अधिकारी बबीता पिप्पल की मृत्यु चुन्नी का टैम्पू के एक्शल में फसने से गले में फन्दा लगने के कारण होना पाया गया है।

दलित उत्पीडन के मामलों में 3 आरोपी गिरफ्तार

1. **थाना हलैनाः–** गांव झालाटाला थाना हलैना निवासी जयराम पुत्र रामचरन जाति मीणा ने गांव के ही लच्छा उर्फ लच्छोराम पुत्र दयाराम व नत्थन पुत्र हरभान तथा मुखराम पुत्र जवानसिंह जातियान गुर्जर वगैराह के विरूद्ध एक राय होकर प्रार्थी व परिजनों के साथ मारपीट कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने के तीन पृथक–पृथक मामले क्रमशः दिनांक 17 अक्टूबर 2017 को लच्छा उर्फ लच्छोराम के विरूद्ध व दिनांक 22 अक्टूबर 2017 को नत्थन पुत्र हरभान तथा दिनांक 17 दिसम्बर 2017 को मुखराम पुत्र जवानसिंह थाना हलैना पर मु0नं0 क्रमशः 222, 228, 304/17 धारा 143, 427, 447 आईपीसी व 3 (1) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में दर्ज कराये थे। वृताधिकारी वृत भुसावर श्री महेन्द्रकुमार शर्मा आरपीएस द्वारा बाद अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी क्रमशः **1. पून्या उर्फ रामप्रसाद पुत्र दयाराम, 2. लोकन्द्र पुत्र हरभान** व **3. हिम्मत पुत्र जवानसिंह जातियान गुर्जर निवासियान झालाटाला थाना हलैना** को गिरफतार किया गया है।

अपहरण के मामले में बालअपचारी को किया निरूद्ध

1. **थाना भुसावरः–** गांव बाछरैन थाना भुसावर निवासी एक व्यक्ति ने गांव खेडा थाना हिण्डौन सदर जिला करौली निवासी एक बाल अपचारी के विरूद्व प्रार्थी की बहिन का अपहरण कर ले जाने का एक मामला दिनांक 08.08.2018 को थाना भुसावर पर मु0नं0 403/18 धारा 363, 366 भा0द0स0 में पंजीवद्ध कराया था। श्री नगेन्द्र कुमार स0उ0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद आरोपी **गांव खेडा थाना हिण्डौन सदर जिला करौली निवासी एक बाल अपचारी** को निरूद्ध किया गया है।

एल0 डी0 सी0 परीक्षा में दूसरे की जगह परीक्षा देने के आरोप में फर्जी परीक्षार्थी को किया गिरफ्तार

1. **थाना कोतवाली भरतपुरः–** रा0 मा0 विधालय सिविल लाईन भरतपुर के प्रधानाध्यापक व सेंटपॉल सी0 सै0 स्कूल रणजीतनगर के केन्द्राधिक्षक श्री गजेन्द्रसिंह शर्मा ने गांव अस्थावां जिला नालंदा बिहार निवासी परीक्षार्थी गौरव पुत्र रविप्रसाद जाति कुर्मी के विरूद्ध राकेश पुत्र शीशराम जाति गुर्जर निवासी कौनया का पुरा (अकबर पुरा) थाना श्रीमहावीरजी जिला करौली की जगह फर्जी तरीके से एल0डी0सी0 परीक्षा का पेपर देने का एक मामला कल दिनांक 09.09. 2018 को थाना कोतवाली भरतपुर पर मु0न0 456/18 धारा 419, 420, 467, 468 भांदसं व 4, 6 राज0 परीक्षा अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कराया था। थानाधिकारी श्री राजेश वर्मा पु0नि0 द्वारा दौराने अनुसंधान उक्त मामले के नामजद नकली परीक्षार्थी **1. गौरव पुत्र रविप्रसाद उर्फ राजेन्द्र प्रसाद जाति कुर्मी निवासी अस्थावां जिला नालंदा विहार** को गिरफ्तार कर आरोपी से गहनता पूर्वक पूछताछ की जा रही है।

अवैध शराव सहित 2 जनो को धर दबोचा

156 पव्वा देशी शराब व 1 वाईक बरामद

जिले में अवैध शराब तस्करों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से 156 पव्वा अवैध देशी शराब व एक मोटरसाईकिल को जप्त कर 2 ब्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना बयानाः–** श्री बदनसिंह स0उ0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर कस्वा बयाना से वाईक चालक **1. मुरारी पुत्र भंवरसिंह जाति जाटव निवासी भीमनगर थाना बयाना** को 96 पव्वा अवैध देशी शराव व मोटरसाईकिल न0 आर0जे0 05 बीएस 7871 के गिरफ्तार कर मु0नं0 786/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
2. **थाना वैरः–** श्री नगेन्द्र कुमार स0उ0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव रमांसपुर से **1. भगवतसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाटव निवासी रमांसपुर थाना वैर** को 60 पव्वा अवैध देशी शराव के गिरफ्तार कर मु0नं0 230/18 धारा 19/54 आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

3 स्थाई वारंटी/वारंटी पुलिस पकड में

जिला पुलिस द्वारा वारंटी/स्थाई वारंटियो की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के दौरान अलग–अलग स्थानों से 2 स्थाई वारंटी व 1 वारंटी को गिरफ्तार किया गया है।

1. **थाना अटलबंदः–** श्री ताराचंद हैड कानि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर गांव हन्तरा से स्थाई वारंटी **1. बच्चूसिंह पुत्र प्रभूसिंह जाति राजपूत निवासी हन्तरा थाना लखनपुर** को गिरफ्तार किया गया है।
2. **थाना बयानाः–** श्री बदनसिंह स0उ0नि0 मय जाप्ता द्वारा मुखविर की सूचना पर कस्वा बयाना से वारंटी **1. श्रीमति जयदेई पत्नी कैलाशचन्द जाति जोशी निवासी कस्वा बयाना** को गिरफ्तार किया गया है।
3. **थाना पहाडीः–** थानाधिकारी श्री रामनाथसिंह पु0नि0 द्वारा मुखविर की सूचना पर कस्वा पहाडी से स्थायी वारंटी **1. सुरेश कुमार उर्फ सुस्या पुत्र रामकिशोर जाति मीणा निवासी केसरा थाना मण्डावर जिला दौसा** को गिरफ्तार किया गया है।

6 जुआरी/सटोरिया बन्द हवालात

6550 रूपये बरामद

भरतपुर पुलिस द्वारा जिले में जुआ/सट्टेवाजों के विरूद्व चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान कार्यवाही कर अलग–अलग स्थानों से 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर कब्जे से कुल 6550 रूपये नकद मय जुआ सामग्री/सट्टा उपकरण के जप्त किये गये हैं।

1. **थाना चिकसानाः–** श्री रामवीरसिंह स0उ0नि0 द्वारा गांव पीपला से **1. अजयसिंह पुत्र जसबंतसिंह जाति ठाकुर निवासी पीपला थाना चिकसाना** को 320 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 310/18 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।
2. **थाना उद्योगनगरः–** श्री बीधाराम स0उ0नि0 द्वारा गांव जधीना से **1. राकेश पुत्र सुन्दरलाल जाति जाटव निवासी कस्वा उच्चैन** को 220 रूपये मय सट्टा उपकरण के गिरफ्तार कर मु0नं0 257/18 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किया गया है।

3. **थाना नगरः–** नगर पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों **से 1. मदनलाल पुत्र नन्दराम जाति माली निवासी कस्वा नगर, 2. ईशव पुत्र स्माईल जाति मेव निवासी ईशनाका थाना नगर** तथा **3. इन्दर पुत्र कल्लू जाति कोली, 4. मजीद पुत्र सुगड जाति सक्का निवासियान कस्वा नगर** को क्रमशः 1010, 5000 रूपये (कुल 6010 रूपये) मय जुआ सामग्री के गिरफ्तार कर मु0नं0 क्रमशः 304, 305/18 धारा 13 आर0पी0जी0ओ0 के तहत पंजीबद्ध किये गये हैं।

शराव पीकर उत्पात मचाने के आरोप में 2 जने गिरफ्तार

1. **थाना उच्चैनः–** श्री शिवरामसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा उच्चैन से 1. भूरालाल पुत्र तेजा जाति जाटव निवासी तेहरा ब्राह्मण थाना उच्चैन को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

2. **थाना डीगः–** श्री हरिमन मीना उ0नि0 द्वारा थाने के सामने से 1. सोनू पुत्र दिगम्बर जाति जाट निवासी मगोर्रा जिला मथुरा यू0पी0 को शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है।

शान्ति भंग करने के आरोप में 37 जनों को किया गिरफ्तार

1. **थाना कोतवाली भरतपुरः–** श्री रामगोपालसिंह हैड कानि0 द्वारा थाना परिसर से 1. यश पुत्र विरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी पुरोहित मौहल्ला थाना कोतवाली भरतपुर व 2. राहुल पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी कसाई गली थाना कोतवाली भरतपुर को गिरफ्तार किया गया है।
2. **थाना रूदावलः–** रूदावल पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से 1. राजेन्द्र उर्फ राजू पुत्र रतनसिंह जाति जाटव निवासी वावरी थाना रुदावल, 2. सोरनसिंह व 3. बच्चूसिंह पुत्रान कंचनराम जातियान जाटव निवासियान निभेरा थाना रुदावल को गिरफ्तार किया गया है।
3. **थाना वैरः–** श्री निर्भयसिंह स0उ0नि0 द्वारा कस्वा वैर से 1. धनेन्द्र पुत्र भगवानदास जाति सोनी निवासी कस्वा वैर को गिरफ्तार किया गया है।
4. **थाना कामांः–** श्री हरीशचंद हैड कानि0 द्वारा कस्वा कामां से 1. विजय पुत्र लल्लूराम व 2. लल्लूराम पुत्र रूपराम जातियान प्रजापत निवासियान कस्वा कामां को गिरफ्तार किया गया है।

5. **थाना बयानाः–** बयाना पुलिस द्वारा अलग–अलग स्थानों से 1. मनोज पुत्र रोशनलाल जाति धीमर निवासी अगावली थाना बयाना, 2. मोहनलाल पुत्र भंवरीराम जाति जाटव निवासी श्रीनगर थाना रूपवास, 3. प्रकाशचन्द पुत्र रामचरन जाति कोली, 4. राजेश पुत्र हरिनारायण जाति खटीक निवासियान कस्वा बयाना, 5. अंकुर पुत्र भीमसिंह जाति जाटव निवासी विड्यारी थाना बयाना व 6. रामसिंह पुत्र मोहनलाल जाति जाटव निवासी विजयनगर थाना अटलबन्द, 7. शिम्भूसिंह पुत्र भजनलाल जाति नट निवासी कस्वा रुपवास व 8. देशराज पुत्र बाबूसिंह जाति गुर्जर निवासी महाराजपुरा थाना मांसलपुर जिला धौलपुर को गिरफ्तार किया गया है।
6. **थाना भुसावरः–** श्री भंवरसिंह स0उ0नि0 द्वारा गांव कमालपुरा से 1. विश्वेन्द्रसिंह पुत्र विजयसिंह, 2. राजू पुत्र भगवानसिंह, 3. प्रेमसिंह पुत्र भादूसिंह, 4. नारायणसिंह पुत्र आनाराम, 5. मुकेशसिंह पुत्र सोहनलाल, 6. विजयसिंह पुत्र दिलसुख, 7. टीकमसिंह पुत्र मंगलसिंह, 8. रमेश पुत्र सोहनलाल, 9. करनसिंह पुत्र अन्नाराम, 10. जीतेन्द्र पुत्र विजयसिंह, 11. अमरचन्द पुत्र गंगाधर, 12. ऊदलसिंह पुत्र करनसिंह जातियान जाटव निवासियान विजयनगर थाना अटलबंद, 13. सुगडसिंह पुत्र तेजाराम, 14 राधेश्याम पुत्र रामचरन, 15. मोहनलाल पुत्र हरचन्दी व 16. रामकिशन पुत्र तेजाराम जातियान जाटव निवासियान कमालपुरा थाना भुसावर को गिरफ्तार किया गया है।
7. **थाना सेवरः–** श्री विजय कुमार हैड कानि0 द्वारा गांव बगदारी से 1. अमित कुमार पुत्र नैमचन्द जाति ब्राह्मण निवासी बडागांव थाना कुम्हेर, 2. आकाश पुत्र यशवन्त व 3. सागर पुत्र जगदीश जातियान जाट निवासियान लांकी थाना कुम्हेर को गिरफ्तार किया गया है।
8. **थाना सीकरीः–** श्री मोहनसिंह स0उ0नि0 द्वारा अलग–अलग स्थानों से 1. बिल्लू पुत्र काला व 2. आरिफ पुत्र भुल्लू जातियान मेव निवासियान कस्बा सीकरी को गिरफ्तार किया गया है।

50 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्यवाही

जिला भरतपुर में वाहन चालकों के विरूद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 50 वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही की गई हैं। ओवरलोड में सभी प्रकार के वाहन दोपहिया, चौपहिया वाहनों के चालकों के खिलाफ यातायात नियमों के तहत कार्यवाही की गई है, जिससे ओवरलोड

वाहनों से होंने वाली सडक दुर्घटनाओं से निजात मिल सके। ऑवरलोड कार्यवाही में 20 वाहन चालकों के चालान किये गये हैं। ऐसे वाहन चालक जो अपने वाहनों को नम्बर डाले वगैर सडकों पर दौडाते रहते हैं, और दुर्घटना करके भाग जाते हैं तथा चोरी के वाहनों का भी पता नहीं चल पाता है इसलिये बिना नम्बरी 10 वाहनों को जप्त किया गया है। इसी प्रकार अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन जैसे बिना हेलमेट लगाये वाहन चलाना, दो व्यक्ति से ज्यादा, नो पार्किंग आदि के आरोप में 20 वाहन चालकों के विरूद्व कार्यवाही की गई है।